Cosmos Multidisciplinary Research E-Journal
Online Available at www.cmrj.in
Recognized International Peer Reviewed Journal
Impact Factor 4.94
ISSN No. 2456-1665

प्रयोजनमूलक हिन्दी और परिभाविक शब्दावली

डॉ. सोनल रा. नंदनूरवाले
स.भु. विज्ञान महाविद्यालय, औरंगाबाद.

वर्तमान समय में एक क्षण मात्र में हजारो लाखों परीवर्तन और विकास की प्रकियाएं कार्यरत होती जा रही है। किसी भी भाषा का प्रारंभिक रूप बोलवाल की भाषा ही होता है। किन्तु जैसे जैसे भाषा के बोंलनेवालों का सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक, भौतिक, साहित्यिक, व्यवसायिक और प्रशासनिक विकास होता है। जो एक और अभिव्यक्ति को सक्षम बनाता है, तो दूसरी और भाषा में विविध प्रयोगों के कारण एक भिन्न रूप विकसित होता है। जिसे 'प्रयोजन' कहते है।

हिन्दी का जन्म १००० ई. के आसपास हुआ। उस समय यह बोलचाल की भाषा ही थी। किंतु धीरे धीरे अदि, भक्ति तथा मध्यकाल में साहित्यिक रूप के साथ साथ हिन्दी का प्रयोग प्रशासन आदि में भी होता रहा। फिर भी हिन्दी मुख्यतः बोलवाल और साहित्य की ही भाषा बनी रही सन १९०० के आसपास आकर उतना परिवर्तन नही हो पाया जितना आज पाया जा रहा है। अतः आधुनिक जीवन तथा ज्ञानविज्ञान बहुविध स्थितियों और आश्वयकताओ की प्रतिपूर्ति हेतू हिन्दी के विविध रूप विकसित होते जा रहे है। किन्तु यह रूप विकसित होते जा रहे है। किन्तु यह रूप किसी महत्वपूर्ण या विशिष्ट प्रयोजनके संदर्भ में प्रयुक्त हो रही है। यह प्रयुक्त भाषा ही प्रयोजनमुलक भाषा कहलाती है।

हिन्दी कें विविध रूपः

हिन्दी की विकास प्रकिया में हिन्दी के समयानुसार विविधरूप प्रचलित हुआ है। जिस में हिन्दुस्थानी हिंदवी तथा दक्षिणी हिन्दी प्रमुख माने जाते है।

ऐतिहासिक प्रयोग, निर्माण, भूगोलिक तथा मानसिकता के आधारपर भाषा के अनेक रूप होते है। जिस में बोली, उपभाषा, सहजभाषा, गुप्तभाषा, साहित्यिकभाषा, मानकभाषा, परिनिष्ठित भाषा, पारिवारिक भाषा तथा प्रयाजनमूलक भाषा आदि।

अ) 1. हिन्दुस्थानी - हिन्दी का वह रूप जिस में संस्कृत के शब्द बहुत कम और अरबी, फारसी एवं उर्दू के अधिक पाये जाते है।

2. हिंदवी - उर्दू की मूलभाषा के रूप में हिंदवी भाषा प्रचालित है।

3. दक्षिणी हिन्दी - मुगल शासकों के साथ 'हिन्दवी' तेरहवी शताब्दी में दक्षिण में आयी यही भाषा दक्षिणी हिन्दी के रूप सें जानी गयी जिस में दक्षिणी भाषाओं के शब्द पाये जाते है।

आ) 1. बोली (Dialeet) : एक भाषा के अंतर्गत जब कई प्रकार के विभिन्न रूपों का विकास होता है, उसे 'बोली' कहते है। बोली के व्यक्ति बोली, स्थानिक बोली (Sub Dilect or Local Dilect) आदि भेद माने जाते है।

2. अपभाषा (Slary) : यह भाषा का वह रूप है, जो विकृत अथवा उपभ्रष्ट माना जाता है। जैसे मुझे मेरे को, क्यो काय को, तुझे-तेरे को आदि.

3. संपर्क भाषा (Contact Language) : जिस भाषा के माध्यम से एक दूसरे से संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे संपर्क भाषा कहते है।

4. राजभाषा (Official Language) : जिस भाषा का प्रयोंग सरकारी प्रयोजनों के लिए, सरकारी कार्यालयों में किया जातो है। उसे राज्यभाषा कहते है।

5. राज्यभाषा (State Language) : जो भाषा विशिष्ट राज्य में प्रयुक्त होती है। उसे राज्यभाषा कहते है। किसी विशिष्ट राज्य की प्रमुख राज्यभाषा उसकी राजभाषा भी हो सकती है। जैसे महाराष्ट्र राज्य की राजभाषा और राज्यभाषा मराठी ही है।

6. राष्ट्रभाषा (National Language) : किसी क्षेत्र विशेष की भाषा जब अत्यधिक उन्नत बनकर महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लेती है और उसका प्रयोग देश के सार्वजनिक कार्यों में प्रमुखता से किया जाने लगता है। तब वह राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित होती है।

7. मानकभाषा (Standard Language) : परिनिष्ठित आदर्श भाषा मानकभाषा कहलाती है।

8. पारिवारिक भाषा (Family Language) : यह भाषा घरेलू आचार व्यवहारानुसार केवल घर में ही शुध्द या अशुध्द रूप में बोली जाती है। इसे (Family Language) पारिवारिक भाषा कहा जा सकाता है।

9. प्रयोजनमूलक भाषा (Functional Hindi) : समय और स्थितियों को गतिमान करने के लिए आवश्यकतानुसार विशिष्ट प्रयोजन के लिए, जिस भाषा का प्रयोग लिया जाता है। उसे प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप

हिन्दी भाषा के धीरे धीरे अनेकरूप विकसित हो रहे है। जिसे प्रयुक्त प्रयोजनार्थ भाषा कहते है। यथा - बोलचाल की हिन्दी की एक प्रयुक्त प्रयोजनशिलता है, तो हिन्दी की दूसरी प्रयुक्त प्रयोजनशिलता साहित्यिक हिन्दी है। इसी प्रकार प्रशासनिक हिन्दी, खेलकूद की हिन्दी, पत्रकारिता की हिन्दी, वाणिज्य व्यापार की हिन्दी भी हिन्दी का भिन्न प्रयुक्तियॉ है। जब भी हम किसी पत्रिका को पढते है। तो स्पष्ट रूप से समझ में आता है की विशेष समाचारों के पृष्ठ की, साहित्यिक पृष्ठ की, वाणिज्य व्यापार तथा खेलकूद के पृष्ठ की हिन्दी पूर्णतः एक सी नही है। इन सभी में हमं प्रयोग तथा पारिभाषिक शब्दों आदि की दृष्टी से अंतर पाया जायगा । यह हिन्दी की भिन्न-भिन्न प्रयुक्तियां है । अतः प्रयोजनमूलक हिन्दी या व्यवहारिक हिन्दी, प्रशासनिक, हिन्दी या कार्यालयीन हिन्दी, विज्ञान या तकनिकी हिन्दी इसी प्रकार हिन्दी की एक प्रयुक्ति है, जो कई राज्यों के प्रशासन तथा केंद्रो के प्रशासन में प्रयुक्त हो रही है।

किसी भी भाषा के स्वरूप को निर्धारित या स्पष्ट करने के लिए उस भाषा में प्रयुक्ति की भिन्न. भिन्न विशेषतोओं की होती है। जो उस भाषा के स्वरूप को अधिक स्पष्ट करती है। प्रयोजन .

1) मूलक हिन्दी साहित्यिक हिन्दी से भिन्न है। इसलिए की साहित्यिक हिन्दी में अभिधा का प्रयोग कम से कम किया जाता है। जब कि प्रयोजनमूलक हिन्दी में अभिधा का ही अधिक प्रयोग होता है।
2) प्रयोजनमूलक हिन्दी के पारिभाषिक शब्द मुख्यतः हिन्दी के ही है, प्रायः हिन्दी से लेकर ही प्रयुक्त होते है। जैसे - (Under Consideration) विचाराधीन (Presented by) प्रस्तुतकर्ता (Emplyee) कर्मचारी आदि।
3) हिन्दी में समस्त्रोतिय घटकों से ही शब्दों की रचना होती है। जब कि प्रयोजनमूलक हिन्दी में समस्त्रोति घटकों से शब्द विषम स्त्रोतिंय घटकों से भी बने है। यथा.उपजिला (Subdistrict) इन में 'उप' संस्कृत उपसर्ग है, तो जिला फारसी शब्द।
4) हिन्दी को व्यवहारीक राजभाषा घोषित करने के पूर्व उर्दू ही राजकाज की भाषा थी। जो मूलरूप में हिन्दी ही थी। किन्तु उपने शब्दों में परंपरा से न जूडकर अरबी फारसी से जुडी थी। यथा.तहसिल, जमानत, खजाना, सरकार, दफ्तर, जिला अदालत आदि।

स्वतंत्रता के बाद भाषा के संदर्भ में कहा गया कि हमारे पारिभाषिक शब्द विदेशी परंपरा के नही होने चाहिए। अपनी ही परंपरा की मूलभाषा संस्कृत के हो क्योंकि संस्कृत शब्द भारत की सभी भाषाओं के अनुकूल है। परिणामतः हिन्दी में कुछ पैसे शब्द संस्कृत से ले गिये है। जिन के लिए उर्दू परंपरा से भी वर्तमान है। जैसे.उपकिरायेदारी (Subletting) इन में 'उप' संस्कृत उपसर्ग है तो 'किरायेदारी' फारसी शब्द आदि। अंग्रेजी के काफी प्रशासनिक शब्द ऐसे है। जिस के लिए अनेक प्रतिशब्द चल गये है। प्रयोगकर्ता कभी मिश्रित प्रयोग करता है, और कभी केवल परंपरा के शब्दों

का प्रयोग करता है। जिस के कारण प्रयाजनमूलक हिन्दी में विविध प्रकार की शैलियों का विकास हो रहा है।

अंग्रेजी (Flag) - झण्डा पताका, ध्वज,
(Officer) अफसर अधिकारी,
(Officer) दफ्तर, कार्यालय,
(Court) अदालत, न्यायालय आदि।

5) हिन्दी में अंग्रेजी शब्द भी ज्यों का त्यों ग्रहण किये गये है। जो प्रायः बोलचाल की शैली में प्रयुक्त होते है। इस्टेशन, रेल, टेंडर, अफसर आदि।
6) हिन्दी प्रदेश विस्तृत होने के कारण काफी राज्यों में भिन्न.भिन्न पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। जिस के कारण एकरूपता नही हो सकती दृ जैसे केंद्र स्थापना, मध्य प्रदेश प्रतिष्ठापना, उत्तर प्रदेश . अधिष्ठान तथा राजस्थान संस्थापना आदि एकरूपता की दृष्टीसे इन सारे शब्दों का समन्वय अखिल भारतीय स्तरपर प्रयोग किया जा रहा है।
7) प्रयोजनमूलक हिन्दी में संक्षेपो का प्रयोग समय बचाने के लिये अधिक किया जा रहा है। यथा कृ.पृ.उ. (P.T.O.) वि.का. - विचाराधिन कागज (P.U.C.), अ.सं. अर्थ सरकारी (D.O.), दै. भ. दैनिक भत्ता (D.A.)